संo– 136 / 2018–II–03(03)/2018

प्रेषक,

देवेन्द्र पालीवाल
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई अनुभाग–2

देहरादून, दिनांक 23 मार्च, 2018

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य सैक्टर के अन्तर्गत फल्ड प्लेन जोनिंग मद में गंगा नदी के बाढ़ परिक्षेत्रण कार्यो के अध्ययन हेतु प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0 4479/प्र0अ0/सिं0वि0उ0/नियो0 अनु0 FPZ/ दिनांक 20 दिसम्बर, 2017 एंव पत्र संख्या 311/प्र0अ0/सिं0वि0उ0/नियो0 अनु0 FPZ/ दिनांक 20 जनवरी, 2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड "बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण" के अन्तर्गत गंगा नदी के बाढ़ परिक्षेत्रण कार्यो हेतु निम्न विवरणानुसार कार्यो की कुल लागत रू0 371.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 7.86 लाख (रू0 सात लाख छियासी हजार मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में व्यय हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र0 सं0	कार्य का नाम	कि0मी0 में	लागत रू0 लाख में
1	गंगोत्री से देवप्रयाग	125	66.00
2	देवप्रयाग से ऋषिकेश	68	55.75
3	भिलगना नदी के तट पर	64	55.75
4	बद्रीनाथ से देवप्रयाग	182	80.59
5	केदारनाथ से रूद्रप्रयाग	74	57.07
	योग	513	315.16
	जी0एस0टी0 18%		56.00
	कुल योग		371.00

(i) प्रश्नगत कार्य हेतु Uttarakhand Procurement Rules, 2017 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ।

(ii) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(iii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

(iv) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(v) कार्यों के पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।
आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(vi) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

(vii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग दि0–31.03.2018 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा कृत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(viii) स्वीकृत लागत के सापेक्ष कार्य के कियान्वयन में यदि कम धनराशि व्यय होती है तो शेष धनराशि समर्पित कर दी जायेगी।

2 इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान संख्या–20 के अन्तर्गत फल्ड प्लेन जोनिंग मद के लेखाशीर्षक 4701–मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय –80–सामान्य– 800–अन्य व्यय–08–फ्लड प्लेन जोनिंग–00–42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3 यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 888/XXVII(2)/2018, दिनांक 22 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(देवेन्द्र पालीवाल)
अपर सचिव।

सं0–136 (1) 2018–II–03(03)/2018तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड वैभव पैलेस सी–1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
3. वित्त अनु–2, /नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी देहरादून।
5. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. निदेशालय, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
7. बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ब्योमकेश दूबे)
अनु सचिव।